गृह मंत्रालय
सशस्त्र सीमा बल, महानिदेशालय
पूर्वी खण्ड –V, आर.के.पुरम, नई दिल्ली–110066

फाईल सं. 17/5/एसएसबी/सीएससी/समूह 'ख' और 'ग'/2014/एसएफएस/ 280-330 दिनांक 17.05.2018.

परिपत्र

विषय : सशस्त्र सीमा बल योधक दूरसंचार सेवा (समूह 'ख' एवं 'ग' पद) भर्ती नियम, 2018 और सशस्त्र सीमा बल योधक दूरसंचार काडर समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2007 का विखंडन अधिसूचना।

सशस्त्र सीमा बल योधक दूरसंचार सेवा (समूह 'ख' एवं 'ग' पद) भर्ती नियम, 2018 और सशस्त्र सीमा बल योधक दूरसंचार काडर समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2007 का विखंडन जिसकी अधिसूचना एवं प्रकाशन भारत के राजपत्र में क्रमशः सा.का.नि. 128 दिनांक 23 अप्रैल, 2018 एवं सा.का.नि. 129 दिनांक 23 अप्रैल, 2018 के तहत हुआ है, इस परिपत्र के साथ संलग्न है।

उपरोक्त अधिसूचित भर्ती नियम एवं विखंडन सशस्त्र सीमा बल के शासकीय वेब साइट "www.ssb.nic.in." पर भी उपलब्ध है।

संलग्नः उपरोक्तनुसार

पी. नमग्याल
(पी. नमग्याल)
संयुक्त उप निदेशक (सीएससी)

सेवा में

1. महानिदेशक, एस.एस.बी. के निजी सचिव, को महानिदेशक के सूचनार्थ।
2. अपर महानिदेशक, एस.एस.बी. के निजी सचिव, को अपर महानिदेशक के सूचनार्थ।
3. महानिरीक्षक (कार्मिक और प्रशिक्षण) एस.एस.बी, के निजी सचिव को महानिरीक्षक (कार्मिक और प्रशिक्षण) के सूचनार्थ।
4. महानिरीक्षक, सीमान्त मुख्यालय, एस.एस.बी. रानीखेत/लखनऊ/पटना/सिलीगुड़ी/गुवाहाटी और तेजपुर।
5. उप महानिरीक्षक (कार्मिक/न्यायाधीश महान्यायवादी और संचार) बल मुख्यालय, नई दिल्ली।
6. उप महानिरीक्षक सेक्टर मुख्यालय, एस.एस.बी., अल्मोड़ा/पीलीभीत/लखीमपुर खीरी/गोरखपुर/बेतिया/मुजफ्फरपुर/पूर्णिया/रानिडांगा/गंगटोक/जलपाईगुड़ी/वोगांईगाँव/रंगिया/बोमडिला/भिलाई/जम्मू/श्रीनगर/गया और वैजपारा से अनुरोध है कि उपरोक्त अधिसूचित भर्ती नियम एवं विखंडन की प्रतिलिपी अपने अधीन सभी फिल्ड यूनिटों को अग्रेषित करें।
7. उप महानिरीक्षक (साइफर कम्प्यूटर), बल मुख्यालय से अनुरोध है कि उक्त अधिसूचित भर्ती नियम एवं विखंडन को सशस्त्र सीमा बल के शासकीय वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।
8. क्रमांडेंट (संचार) बल मुख्यालय, नई दिल्ली।
9. संयुक्त उप निदेशक (कार्मिक-III) बल मुख्यालय, नई दिल्ली।
10. सहायक निदेशक (भर्ती) बल मुख्यालय, नई दिल्ली।

प्रतिलिपी

1. उपमहानिरीक्षक (प्रशिक्षण/आसुचना/प्रशासन/प्रावधान एवं परिचालन), बल मुख्यालय, एस.एस.बी., नई दिल्ली।
2. प्रशिक्षण केन्द्र, एसएसबी, शिमला/सपरी/कुसमपट्टी/कुमारसेन/श्रीनगर/सराहन/गोरखपुर और सलोनीबाड़ी।
3. संयुक्त उप निदेशक (कार्मिक–5), बल मुख्यालय से अनुरोध है कि उपरोक्त अधिसूचित भर्ती नियम एवं विखंडन को एस.एस.बी. ऐप पर अपलोड करवाने की कृपा करें।
4. कमांडेंट केन्द्रीय स्टोर डिपो और कार्यशाला/अकादमी भोपाल।

(1–4:) सूचनार्थ हेतू। यदि आवश्यक हो तो उक्त भर्ती नियम को एस.एस.बी.के वेब साइट से डाउन लोड करें

संयुक्त उप निदेशक (सीएससी)

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 17] नई दिल्ली, अप्रैल 22—अप्रैल 28, 2018, शनिवार/वैशाख 2—वैशाख 8, 1940

No. 17] NEW DELHI, APRIL 22—APRIL 28, 2018, SATURDAY/VAISAKHA 2—VAISAKHA 8, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 128.—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 (2007 का 53) की धारा 155 की उप–धारा (2) के खंड (क) और खंड (ग) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन सशस्त्र सीमा बल, योधक दूरसंचार सेवा समूह 'ख' एवं 'ग' पद भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र सीमा बल योधक दूरसंचार सेवा (समूह 'ख' एवं 'ग' पद) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.–पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं आदि**.–भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**.–वह व्यक्ति,–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **चिकित्सक दृष्टया योग्यता.**–इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी केवल वे व्यक्ति जो चिकित्सा प्रवर्ग शेप–1, में हैं इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

स्पष्टीकरण : इन नियमों के प्रयोजन के लिए "शेप–1" से यथा नीचे परिभाषित चिकित्सा प्रवर्ग अभिप्रेत है :–

(i) कोड अक्षर शेप (एस एच ए पी ई) जो निम्नलिखित कृत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, द्वारा उपदर्शित दिए घटकों के अधीन अधिकारी की योग्यता निर्धारित करने के पश्चात् चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया गया चिकित्सा वर्गीकरण :–

एस	–	मनोवैज्ञानिक
एच	–	श्रवण शक्ति
ए	–	उपांग (उपैन्डेजेस)
पी	–	शारीरिक क्षमता
ई	–	दृष्टि शक्ति

(ii) प्रत्येक घटक के अधीन किसी अधिकारी की कार्यक्षमता प्रत्येक कोड अक्षर के सामने अंक 1 से 5 द्वारा गिरती कार्यक्षमता उपदर्शित करते हुए दर्शाई जाएगी और कोड अक्षर के पश्चात् अंक लिखे जाएंगे सिवाय उसके जहां कोई अधिकारी सभी घटकों में श्रेणी–1 में है वहां उसका प्रवर्ग एस1 एच1 ए1 पी1 ई1 लिखने के बजाय शेप–1 लिखकर दर्शाया जा सकेगा, इन अंकों का साधारण मूल्यांकन निम्नानुसार है :–

(क) कहीं भी सभी कर्तव्यों के लिए योग्य।

(ख) सभी कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु क्या कर्तव्यों में तीव्र कठिनाई या दोनों कानों या आंखों की श्रवण शक्ति/दृष्टि की तीक्ष्णता की मांग अंतरग्रस्त है या नहीं पर निर्भर करते हुए कर्तव्यों के प्रकार और नियोजन योग्यता क्षेत्रों के अनुसार परिसीमाएं हो सकती हैं;

(ग) "एस" घटक को छोडकर नेमी या निष्क्रिय कर्तव्यों के लिए योग्य किन्तु उच्च स्थान (2700 मीटर से अधिक) अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों या पहाडी भूखंड़ों पर और लम्बे कर्तव्य भारों के लिए नियोजन योग्यता की परिसीमाएं हो सकती हैं।

(घ) अस्पताल में भर्ती या बीमारी की छुट्टी के कारण कर्तव्यों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य ।

(ड.) कर्तव्यों के लिए स्थायी रूप से अयोग्य ।

6. **अधिवर्षिता.**–इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति उस मास के जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त कर सकता है, अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत होगा।

परंतु यह है कि वह व्यक्ति जिसके जन्म की तारीख किसी मास की पहली तारीख होगी सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत होगा।

7. **अन्यदेशीय अपात्रता.**–कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं हैं, लिखित में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के सिवाय, इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा।

परन्तु इस नियम के अंतर्विष्ट कोई बात नेपाल या भूटान को इस बल में नियुक्ति या नियोजन से वर्जित नहीं करेगी।

8. **सेवा का दायित्व.**–इन नियमों के अधीन उक्त पदों पर नियुक्त कोई व्यक्ति भारत या विदेश में कहीं भी सेवा करने का दायी होगा।

9. **शिथिल करने की शक्ति.**–जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

10. **व्यावृति.**–इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।